अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0–निग / सारा–4 (पथ)–आरोप–13 / 2019 पटना, दिनांक :– 6/3/19

कार्यालय आदेश 70

पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर में माड़ीपुर से छाता चौक तक एवं बटलर चौक से रेलवे भर्ती बोर्ड के मुख्य द्वार तक बनाये गये पी०सी०सी० सड़क के घटिया निर्माण की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 के द्वारा जाँचोंपरांत समर्पित एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुशंसा की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों / अनिमियतताओं के लिए विभागीय पत्रांक–9844(S)We दिनांक–05.12.2016 एवं पत्रांक–616(S) दिनांक–25.01.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–01 सम्प्रतिः सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–शून्य दिनांक–06.02.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय स्तर पर समर्पित की गयी

2. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि / अनियमितता पायी गयीः–

(i) पथ के 08 वें कि०मी० में कराये गये PCC कार्य की औसतन Equivalent Cubical Compressive Strength 128.09 Kg/Cm^2 पाया गया है, जबकि इसका मान 280 Kg/Cm^2 से कम नहीं होना चाहिए।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसमें यह पाया गया कि पथ के 08 वें कि०मी० में कराये गये PCC कार्य का औसतन Equivalent Cubical Compressive Strength 128.09 Kg/Cm^2 पाया गया है, जबकि इसका मान 280 Kg/Cm^2 से काफी कम पाया जाना उक्त मद् में विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने की सीधी पुष्टि करता है। उक्त पायी गयी त्रुटि के संबंध में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में ऐसा कोई ठोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर युक्तिसंगत ढ़ंग से विचार किया जा सके, जिसके फलस्वरूप श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा के क्रम में श्री कुमार द्वारा दिनांक–06.02.2017 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के उप नियम–v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैः–

(i) **तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।**

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–01 /उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संजय कुमार, सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1912 (E) पटना, दिनांक :– 6/3/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

6/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

6/3/19